संख्या-6/20/7/86टीसी-।।/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 16 जून, 2015

विषय- विभाग/कार्यालय में समूह-'घ' सेवा की सदस्य संख्या के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985 यथासंशोधित के नियम-5 में समूह-'घ' सेवा के सदस्य संख्या के अवधारण के संबंध में प्रावधान निम्नवत हैं:-

" किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह-घ के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।"

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-70254/2011 रामरेखा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 05-05-2014 के समादर में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह-घ के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अवधारित की जाये।

3- अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/20(1)/7/86टीसी-।।/का-2/2015

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी।
3 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
10 संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 2000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
11 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in